Contemporary India --6

केन्द्रीय प्राधिकरण एवं एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना:

पहली बार अंग्रेज़ों ने पूरे उपमहाद्वीप को एक शाही शासन के अधीन ला दिया । भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नाम. ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी अंग्रेज़ों ने एक समान व्यवस्था स्थापित की, जिसकी पहुँच यहाँ तक थी ।देश के सुदूरतम क्षेत्रों में एकल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, तो प्रशासनिक भारत की व्यवस्था ब्रिटिश राज की विरासत है।

ब्रिटिश शासन के तीन स्तंभ

भारत ने नौकरशाही, सेना और पुलिस व्यवस्था को विरासत के रूप में कायम रखा गया है जो भारत में ब्रिटिश राज की रीढ़ थे। कानून एवं व्यवस्था का प्रावधान महत्वपूर्ण था, ब्रिटिश शासन का योगदान भारतीय सिविल सेवा के उत्तराधिकारी को इंडियन के नाम से जाना जाता है और यह प्रशासनिक सेवा अभी भी "स्टील फ्रेम" बनी हुई है जिसपर राष्ट्र की स्थिरता और विकास मुख्य रूप से निर्भर करता है। भारत में अभी भी 1860 के पुलिस अधिनियम द्वारा शासन किया जाता है , जो ब्रिटिश विरासत है।

संसदीय लोकतंत्र

भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित सरकारी प्रणाली का प्रकार सरकार के संसदीय स्वरूप जैसा था। 1917 की अगस्त घोषणा के बाद आंशिक रूप से उत्तरदायी भारत सरकार के अधीन भारतीय प्रांतों में सरकार द्वारा (द्वैध शासन) की शुरुआत की गई अधिनियम 1919 के 16 वर्ष बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार (संसदीय स्वरूप), 1937 में भारतीय प्रांतों और आंशिक रूप से उत्तरदायी में लागू किया गया था । कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक अंतरिम सरकार केंद्र में थी जिसे संगठित किया गया और इसमें सरकार की संसदीय प्रणाली भी शामिल थी। आज़ादी के बाद, भारत ने न केवल सरकार के संसदीय स्वरूप को बनाए रखने का बल्कि इसे एक संसदीय स्वरूप के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया । ऐसे में संसदीय लोकतंत्र का विकल्प वेस्टमिंस्टर मॉडल, ब्रिटिश शासन की विरासत रही है।

द्विसदनवाद का परिचय

द्विसदनवाद को उपनिवेशवाद की विरासत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार भारत की केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया।उच्च सदन के रूप में राज्य परिषद और विधान सभा के साथ विधायिका निचला सदन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था का विस्तार किया । इस प्रकार, 1937 तक, भारत में केंद्र और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई थी । स्वतंत्र भारत ने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया ।राज्यों को द्विसदनीयता या एकसदनीयता चुनने का विकल्प था । आज अधिकांश राज्यों में द्विसदनीय राज्य है इसके तहत विधायिकाओं की स्थापना की गई। हालाँकि, इसके बाद पंजाब, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने इस संबंध में निर्णय लिया--एकसदनवाद को अपनाना क्योंकि उच्च सदनों और विधान परिषदों को एकसदनीय पाया गया !

भारतीय संघवाद

भारतीय संघवाद, विशेष रूप से एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय संरचना के रूप में है ।इसकी प्रकृति को ब्रिटिश उपनिवेशवाद की विरासत के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

भारतीय प्रांतों को विधायी एवं वित्तीय शक्तियाँ तथा प्रांतीय संगठन 1861 से भारत की मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं प्रदान कीं ।स्वतंत्र भारत में संघवाद को अपनाने के लिए बुनियादी ढाँचा,भारत सरकार अधिनियम 1919द्वारा के गए थे ।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय व्यवस्था के लिए एक योजना तैयार की हालाँकि, भारत, विशेष रूप से कई बाधाओं के कारण इसे क्रियान्वित करने में विफल रहा ।हालाँकि, आज़ादी के बाद भारत ने अपनाने का फैसला किया ।